




फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वशुलपर परिशोधित उपस्थित।                      पूर्वादेश की पालना में पत्रावली दिनांक 26/7/24 की पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                      उपखण्ड अधिकारी                      जोबनेर जयपुर</p>	
	26/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. का अन्त                      कार्य में व्यस्त है। अन्त                      आदेशानुसार दिनांक 6/9/24                      को पेश हो।</p>	
	6/9/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वशुलपर परिशोधित उपस्थित।                      की पालना में पत्रावली दिनांक 8/11/24 को                      पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                      उपखण्ड अधिकारी                      जोबनेर, जयपुर</p>	
	8.11.24	<p>पत्रावली पेश हुई। नादीगठा एवं उनके अधिनिका                      अनुपस्थित। नादीगठा एवं उनके अधिनिका को                      धृष्टिका - धृष्टका समय पर तीन-तीन बार आवाजें                      लगावायी गयी। बावजूद अन्तर्गत पत्रावली के द्वारा                      भी पत्रावली में नादीगठा उपस्थित नहीं आने पर                      पत्रावली अंतर्गत आदेश-1 नियम-3 जा० 21. के                      तहत खारिज की जाती है। पत्रावली प्रोक्त वशुलपर                      होकर नंबर ले लमा होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">                      उपखण्ड अधिकारी                      जोबनेर जयपुर</p>	